फर्द अहकाम

अज अदालत अति० जिला कलेक्टर.........मुकाम ....टोंक ....

गिर्राज.......................   बनाम ......तहसीलदार मालपुरा वगै०

किस्म मुकदमा.................अपील   ..नं०..........16.........सन.... 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-5-19	अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष खसरा नम्बर 496/5 रकबा 6 बिस्वा मे से 0.03 बिस्वा (379.39 वर्गमीटर) भूमि का कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य मे रूपान्तरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राज० राजस्व नियम 2007 की पालना किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 3 के हक मे कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य हेतु रूपान्तरण के आदेश दिनांक 01.03.2016 को पारित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर प्याउ,हैण्डपम्प,धर्मशाला व प्रतिक्षालय रोड से 40 फीट की परिधि मे बने हुये है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को लाभ पंहुचाने के लिये नही की गई ओर न ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वंय अपने स्तर पर मौका देखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आदेश को स्थगित किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 3 को पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि पर प्याउ,हैण्डपम्प,धर्मशाला व प्रतिक्षालय को घ्वस्त नही करे तथा आम जनता के उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की बेजा मजाहमत तथा कोई निर्माण कार्य नही करे। हमने बहस अभिभाषक अपीलांट एक तरफा सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में तहसीलदार मालपुरा द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.03.2016 (रूपान्तरण) को स्थगित करते हुये अप्रार्थी संख्या 3 को पाबंद किया जाता है कि विवादित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.07.2019 तक नही करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश से संबंधित मिसल भी मंगवाई जाकर पत्रावली दिनांक 04.07.2019 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	858-861 15-5-19 U.T. ...
4-7-19	अभिभाषक अपीलार्थी ... उपस्थित ... पैरोकार ... अप्रार्थी संख्या-2 ... अप्रार्थी संख्या-3 ...	...

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
	नहीं तथा यदि सम्बंधित भूमि को पूर्व निर्धारित रेखा को सड़क की मध्य रेखा से 40 मीटर दूरी है तो तत्पश्चात मुताबिक राजस्व नक्शा संपरिवर्तन आवेदक की खातेदारी भूमि बाबत संपरिवर्तन शेष बचती है या नहीं। हेतु तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी दिनांक (पेशी) 26.11.2020 से पूर्व प्रेषित करें। [signature] 5.11.2020 स्थगन आदेश यथावत रहेगा। [signature] 5.11.2020 अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	1356 9/11/2020
26/11/2020	अभि. उभयपक्ष उप.। तहसीलदार मालपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्राप्त। स्थगन आदेश की अवधि नियत दिनांक तक बढ़ायी जाती है। पत्रावली इंतजार रिपोर्ट दिनांक 17-12-2020 को पेश हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	
17-12-2020	अभिभाषक उभयपक्ष उप.। तहसीलदार मालपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जावे। स्थगन आदेश की अवधि नियत दिनांक तक बढ़ायी जाकर पत्रावली दिनांक 8-1-2021 को पेश हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	1772 21/12/20
8-1-2021	अभिभाषक रेस्पो. उप। तहसीलदार मालपुरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को आवाज लगाई गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुये। अभिभाषक रेस्पो. ने उपस्थित होकर [illegible] खारिज करने हेतु पुरजोर निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट को आवाज लगाई गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुये। अभिभाषक रेस्पो. का कथन है कि अपीलांट [signature] जिला कलेक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में एक तरफा स्थगन लेकर प्रकरण को लम्बा खींचना चाहता है। अतः यदि अपीलांट बार-बार आवाज के बावजूद भी बहस हेतु उपस्थित नहीं होता है तो अपीलांट द्वारा प्राप्त किया गया एक तरफा स्थगन आदेश खारिज किया जावे। अभिभाषक अपीलांट को पुनः बार-बार आवाज लगवाई गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रकरण में जारी एक तरफा स्थगन आदेश दिनांक 15/5/2019 को खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/01/2021 को पेश हो। इतना लिखने के उपरान्त अभिभाषक अपीलांट ने साढ़े 4 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाने पत्रावली पेश किया। पत्रावली दिनांक 15/01/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	
15/1/21	अभिभाषक उभयपक्ष उप० अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-3 प्रा०पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाने पत्रावली का जवाब [illegible] है। प्रा०पत्र कि नकल [illegible] जवाब प्रार्थना-पत्र [illegible] किये जाने पत्रावली दिनांक 5-2-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner